राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 रायबरेली से जौनपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 अम्बेडकर नगर से बांदा के उननयन तथा पूनर्वास हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई के प्रस्तुतिकरण हेतु दिनांक 25.11.2011 को बचत भवन, कलेक्ट्रेट समागार रायबरेली में आयोजित सभा का कार्यवृत्त :–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 रायबरेली से जौनपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 अम्बेडकर नगर से बांदा में सुधार एवं निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना एन0एच0 231 रायबरेली के किमी0 0.000 (दरियापुर) से प्रारम्भ होकर जौनपुर के किमी0 169.600 पर समाप्त होगी परियोजना की कुल लम्बाई 169.600 किमी0 है परियोजना की कुल लागत 595.00 करोड़ है। इसमें जनपद रायबरेली के अन्तर्गत किमी0 0.000 से किमी0 15.000 तक का भाग पड़ता है।

प्रस्तावित अन्य परियोजना एन0एच0 232 अम्बेडकर नगर (टांडा) के किमी0 0.000 से प्रारम्भ होकर बांदा के किमी0 289.600 पर समाप्त होगी परियोजना की कुल लम्बाई 289.600 किमी0 है। परियोजना की कुल लागत 1459.30 करोड़ है इसमें जनपद रायबरेली के अन्तर्गत किमी0 135.000 से किमी0 194.000 तक का भाग पड़ता है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में परियोजना के निस्तारण से पूर्व लोक सुनवाई किया जाना अनिवार्य है जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी रायबरेली महोदया द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के पैनल का गठन किया गया :–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली
2. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंन्द्र, रायबरेली
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्र **''दैनिक जागरण''**, (कानपुर रायबरेली संस्करण) में दिनांक 26.10.2011 में लोक सुनवाई की तिथि 25.11.2011 समय अपराह्न 02:00 बजे स्थान बचत भवन कलेक्ट्रेट सभागार रायबरेली में आयोजित किए जाने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गयी। इसी क्रम में निर्धारित तिथि 25.11.2011 को अपराह्न 02:00 बजे निर्धारित स्थान पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों एवं महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0 की इकाई रायबरेली की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। जिसकी उपस्थिति विवरण संलग्न है। लोक सुनवाई का कार्यवृत्त निम्नवत है :–

लोक सुनवाई प्रारम्भ करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की इकाई रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक श्री आशुतोष गौतम के द्वारा बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंन्द्र, रायबरेली एवं अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा लोक सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य समस्त जनों से परियोजना के संबंध में अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियां/सुझाव, मौखिक अथवा लिखित रुप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। तदोपरांत अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बैठक के प्रारम्भ में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक श्री आशुतोष गौतम नें दोनो परियोजनाओं 231 एवं 232 के संबंध में विस्तृत जानकारी जैसे परियोजना का विवरण, परियोजना की पृष्ठभूमि, परियोजना का मानचित्र, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना की आवश्यकता, प्रस्तावित मार्ग पर यातायात की पूर्वानुमानित मांग, प्रस्तावित परियोजना का यातायात सर्वे, टिपिकल क्रास सेक्सन, प्रस्तावित मार्ग में प्रस्तावित सुधार, भू–अर्जन एवं वृक्षों का पातन का पूर्ण विवरण, पृष्ठ जल गुणवत्ता, भूमिगत जल गुणवत्ता,

परिवेशीय वायु गुणवत्ता, अध्ययन क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता, परिवेशीय ध्वनि के स्तर, तथा इनकी मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तार से बताया गया। साथ ही साथ पर्यावरण संचालन एवं प्रबंधन लागत, परियोजना प्रभाव एवं न्यूनीकरण उपाय के संबंध में भी चर्चा की गयी। तद्पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधिगण एवं सामान्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियां/सुझाव देने प्रक्रिया आरम्भ की :–

1. श्री विजय प्रताप सिंह राही, रायबरेली ने प्रस्तावित मार्गो पर स्पीड ब्रेकर बनाने की जानकारी चाही तथा सुझाव दिया कि प्राइमरी स्कूलों के सामनें स्पीड ब्रेकर अवश्य बनाए जांए इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुशार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पीड ब्रेकर का प्राविधान नहीं होता है परन्तु आवश्यकता होने पर मानकों के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है।

2. श्री महेन्द्र सिंह, जगतपुर, रायबरेली ने जानना चाहा कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है उन किसानों को जमीन के बदले में क्या मिलेगा ? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे किसानों को नियमानुसार मुआवजा अदा किए जाने का प्राविधान है।

3. श्री मयंक श्रीवास्तव, रायबरेली द्वारा जानना चाहा गया कि उक्त मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी तथा बीच में विभाजन किया जाएगा अथवा नहीं ? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग की पेव्ड शोल्डर्स चौड़ाई 10.00 मीटर होगी तथा मार्ग के मध्य में विभाजन (डिवाइडर) का प्राविधान नहीं है।

4. श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, ग्रा0 मीरगंज, जैतूपुर पो0 राही जिला–रायबरेली के द्वारा जानना चाहा गया कि मार्ग के चौड़ीकरण में कितने पेड़ प्रभावित हो रहे हैं तथा इनके स्थान पर दूसरे पेड़ लगाए जाएंगे या नहीं ? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि काटे जाने वाले पेड़ों के संबंध में विस्तृत सूचना Executive Summary में उपलब्ध है। जिसकी एक–एक प्रति आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है तथा नए लगाए जाने वाले वृक्षों के संबंध में अवगत कराया कि नियमानुसार नए वृक्ष भी मार्ग के दोनों ओर लगाए जाएंगे।

5. श्री सिद्धनाथ गुप्ता, प्रधान, रायपुर महेरी, रायबरेली द्वारा जानना चाहा गया कि इस पूरी परियोजना के चौड़ीकरण में कितनी जमीन अधिग्रहीत की जाएगी ? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में जनपदवार एवं तहसीलवार पूर्ण सूचना Executive Summary में दी गई है। जिसकी एक–एक प्रति आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है।

6. श्री श्यामलाल, जरियारी, रायबरेली द्वारा जानना चाहा गया कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत कितने सर्विस रोड दिए जा रहे हैं ? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों परियोजनाओं में सर्विस रोड का प्राविधान नहीं है।

7. श्री अवनीश, बलियामऊ ने जानना चाहा कि प्रस्तावित मार्ग दो लेन है या चार लेन? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों प्रस्ताव टू लेन पेव्ड शोल्डर्स है जिसकी पेन्टिड सतह की चौड़ाई 10.00 मीटर प्रस्तावित है।

8. श्री अखिलेश कुमार, सेनाचक, डी ब्लाक, सी0एस0एम0 नगर के द्वारा सुझाव दिया गया कि परसदेपुर से रायबरेली तक की सड़क काफी सॅकरी है जबकि यह रोड काफी चलती है, मै चाहता हूँ कि इस रोड का ध्यान दिया जाए। इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रोड लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में है। अतः संबंधित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाएगा।

9. श्री अनुराग सिंह, फुरसतगंज ने जानना चाहा कि जहॉ विभाग के पास जमीन उपलब्ध नहीं है वहॉ पर मुआवजे का क्या प्राविधान है ? इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे स्थानों पर किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है।

10. श्री प्रदीप कुमार, लालगंज, रायबरेली ने सुझाव दिया कि सड़कों को चौड़ा करने का कार्य मजबूती से कराया जाए ताकि वहॉ पर गड्ढे न हों तथा स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि एक्सीडेंट न हों। इस संबंध में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा आश्वासन दिया गया कि मार्ग का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा तथा स्पीड ब्रेकर बनाए जाने के संबंध में भी नियमानुसार विचार किया जाएगा।

बैठक के अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाई को सफल मानते हुए लोगों की जागरूकता पर प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लोगों के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली व अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया गया।

अन्त में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली द्वारा अपने विचार रखे गए। उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया एवं आम जनता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी सराहा तथा महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, प0का0इ0, रायबरेली द्वारा दिए उत्तरों पर संतोष व्यक्त करते हुए इस सफल लोक सुनवाई की सराहना की गई।

उपरोक्त सुझावों, विचारों, टिप्पणियों तथा आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मुद्दा लोक सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट से अभिव्यक्त है कि प्रस्तावित राजमार्ग के निर्माण से किसी प्रकार की पर्यावरणीय क्षति के मानकों का उल्लंघन नहीं होगा।

अतः सैद्धान्तिक रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण एवं जन तथा राष्ट्रहित में उक्त प्रस्ताव के कियान्वयन हेतु लोक सुनवाई समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित राजमार्ग सं0 231 (रायबरेली से जौनपुर) तथा रा0रा0 सं0 232 (टांडा से बांदा) के सुधार एवं निर्माण हेतु प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त होने का अनुमोदन करते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की जाती है।

(कुलदीप मिश्रा) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली	**(बी0 एन0 सिंह)** महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रायबरेली	**(ओम प्रकाश)** अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली

****

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 (रायबरेली – जौनपुर) एवं 232 (टांडा से बांदा) के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई में उपस्थिति

दिनांक 25–11–2011 स्थानः– बचत भवन, कलेक्ट्रेट सभागार, रायबरेली

समय :– अपराहन 02:00 बजे

कमांक	नाम	पता	मोबाइल न0	हस्ताक्षर
1.	सर्वश्री ओम प्रकाश	अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)	9454416625	[signature]
2.	श्री कुलदीप मिश्रा	क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली		[signature] 2011
3.	श्री बी.एन. सिंह एम० एस० खान	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, रायबरेली	9450062955	[signature] 25/11/11
4.	श्री आशुतोष गौतम	महाप्रबन्धक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रायबरेली	9793536111	[signature]
5.	श्री मो० खालिद	प्रबन्धक, भा० रा० रा० प्रा०, रायबरेली		[signature]
6.	श्री बी.पी. पाठक	प्रबन्धक, भा० रा० रा० प्रा०, रायबरेली		[signature]
7	नीरज मल्लिक	ट्रैफिक सुपरवाइजर मोरमेक इनाल्स, नोएडा	9871070261	[signature]
8.	Hari Krishna A.	R&R Consultant, Infer Pvt. Ltd, Delhi	9313303342	[signature]
9.	सिद्धनाथ गुप्ता	प्रधान, रामपुर (महेरी)	9451080031	[signature]
10	Pankajkumar	Sarandamo	9305905151	[signature]
11	Mo. Kamran	Sarandama	9094934762	[signature]
12	Satish Pandey	Vill.- Kosehati Rohin	9161072164	[signature]
13	Ashok shukla	malik mau RBL	9451907489	[signature]
14	वीरेन्द्र कुमार वर्मा	मलिक मऊ	9452278679	[signature]
15	Ajay Kumar Bajpai	Malik Mau. R.B.L	8052604040	Bjay Ba[signature]

कमांक	नाम	पता	मोबाइल न0	हस्ताक्षर
16	Dilip Kumar	Firoj Gandhi Nagar	9450881246	Dilip Kumar
17	राजेश सिंह	लालगंज बैसवारा	9919033905	Rajesh
	Mahendra Singh	रायबरेली बछरावां	9792232361	[illegible]
18	Pradeep Kumar	लालगंज	8423816640	Pradeep Kumar
19	Gaurav Sing	लालगंज	9795296695	Gaurav
20	Anurag Singh	Fursatganj	969604791	Anurag Singh
21	Akhilesh Kumar	VILL-SENACHAK, PO-DOHRI, DI-C.S.M. NAGAR	7398846281	Akhilesh Kumar
22	Amit DIXIT	Gabardhanganj Jagat Pur	8004008602	Amit Dixit
23	Abinay Tiwari	Jarijapur	8307259700	[illegible]
24	Dinesh Kumar	Lalganj	—	[illegible]
25	Raju Kumar	Lalganj	8115502272	[illegible]
26	Arvind Dubey	Raebareli	8756791224	[illegible]
27.	Sudhanshu Kumar	A-20 Sec2 NOIDA (Mott Macdonald)	9311008157	[illegible]
28	Rajan Pathak	Udaymau	9839797240	[illegible]
29	विनोद कुमार		7800668086	विनोद कुमार
30	Mayank Srivastav	Raebareli	9044657737	Mayank
31	Vijay Pratap Singh	Raebareli	9305284280	V.P. Singh
32	Pawan Tiwari	Lalganj	7800137749	Pawan

कमांक	नाम	पता	मोबाइल न0	हस्ताक्षर
33	Paritosh Singh	Raebareli	9196007817	[signature]
34	Anil Kumar Verma	Computer Operator NHAI, PIU-Raebareilly	9450065738	Anil K. Verma
35	Rajesh Gupta	Bindwa RBL	9454590409	Rajesh
36	Chandra Shekhar	A.D. Nagar RBL	9389217533	[signature]
37	Dheeraj Singh	Suchi	7398866368	[signature]
38	Madhuri	देवानी शंकरगंज बाजार		
		8127332190	रायबरेली	माधुरी